बिहार सरकार
(समाज कल्याण विभाग)
दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय

समाज कल्याण विभाग, बिहार द्वारा राज्य के दिव्यांगजनों के हितार्थ योजनाओं / कार्यक्रमों के क्रियान्वयन/संचालन हेतु 2 अप्रैल, 2018 को दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय का गठन किया गया। समाज कल्याण विभाग अंतर्गत यह निदेशालय दिव्यांगजनों के कल्याण हेतु नोडल निदेशालय के रूप में कार्य कर रहा है। राज्य में दिव्यांगजनों के समग्र विकास हेतु सरकार द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय के अंतर्गत दिव्यांग बच्चों के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं एवं कायक्रमों की विवरणी निम्न हैं:–

(1) मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छत्र योजना 'सम्बल' योजना अंतर्गत निःशुल्क कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण का वितरणः– राज्य के जरूरतमंद दिव्यांगजनों को निःशुल्क सहायक उपकरण एवं कृत्रिम अंग विशेष रूप से तिपहिया साईकिल उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2006–07 में मुख्यमंत्री सामर्थ्य योजना का आरंभ किया गया था। मुख्यमंत्री सामर्थ्य योजना का कियान्वयन आरंभ होने से राज्य के दिव्यांगजनों को ट्राई साईकिल, श्रवण यंत्र, बैशाखी, कैलीपर, छड़ी आदि सहायक उपकरण प्राप्त करना आसान हुआ। वर्तमान में दिव्यांगजनों को मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छत्र योजना 'सम्बल' के तहत सहायक उपकरण एवं कृत्रिम अंग उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना के तहत 05 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग (चलंत दिव्यांगता के मामले में 14 वर्ष से अधिक) के दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण एवं कृत्रिम अंग प्रदान किया जाता है। वर्ष 2024–25 में लगभग 550 दिव्यांग बच्चों को सहायक उपकरण उपलब्ध कराया गया है।

(2) मानसिक दिव्यांग बच्चों के लिए दिवाकालीन विद्यालय 'चमन' का संचालनः– दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2011–12 से पटना जिले में मानसिक दिव्यांग बच्चों के लिए दिवाकालीन विद्यालय चमन का संचालन किया जा रहा है। कुल 50 छात्रों की क्षमता वाले 'चमन' में 5–18 आयु वर्ग के मानसिक दिव्यांग बच्चों को शैक्षणिक गतिविधियों के साथ–साथ अन्य दैनिक कार्यो हेतु तैयार किया जाता है। इन बच्चों को पठन–पाठन के अलावा कॉउसलिंग, स्पीच थैरेपी, सामान्य ज्ञान, खेल–कूद एवं कला आदि जैसे कार्यक्रम से बच्चों को अवगत कराया जाता है।

(3) मूक–बधिर एवं नेत्रहीन छात्र–छात्राओं के लिए विशेष विद्यालय का संचालनः–

दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय के अंतर्गत नेत्रहीन छात्रों के लिए कुल 03 विशेष आवासीय विद्यालय का संचालन पटना, दरभंगा एवं भागलपुर जिले में किया जाता है। नेत्रहीन विशेष विद्यालयों की कुल क्षमता 151 है। इसी प्रकार, मूक–बधिर छात्र–छात्राओं के लिए पटना, दरभंगा, भागलपुर एवं मुंगेर जिलों में कुल 05 विशेष आवासीय विद्यालय का संचालन किया जाता है। मूक–बधिर विशेष विद्यालयों की कुल क्षमता 205 है। इन सभी विशेष आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत एवं आवासित बच्चों को निःशुल्क आवासन, भोजन, पठन–पाठन सामग्री, खेल–कूद सामग्री, मनोरंजन, चिकित्सा इत्यादि की व्यवस्था उपलब्ध करायी जाती है। आवासीय विद्यालय का नाम, पता एवं स्वीकृत छात्र–छात्रों की संख्या निम्नवत है :–

क्र०	जिला का नाम	विद्यालय का नाम	छात्र-छात्राओं की स्वीकृत संख्या
1	2	3	4
राजकीय नेत्रहीन आवासीय विद्यालय			
1	पटना	राजकीय नेत्रहीन आवासीय उच्च विद्यालय, कदमकुआँ, पटना ।	68
2	दरभंगा	कामेश्वरी प्रिया पूअर होम, राजकीय नेत्रहीन आवासीय उच्च विद्यालय, दरभंगा ।	58
3	भागलपुर	राजकीय नेत्रहीन आवासीय मध्य विद्यालय, भीखनपुर, भागलपुर ।	25
		Total:-	**151**
राजकीय मूक-बधिर आवासीय विद्यालय			
1	पटना	राजकीय मूक-बधिर (बालक) आवासीय मध्य विद्यालय, महेन्द्रू पटना ।	50
2	पटना	राजकीय मूक-बधिर (बालिका) आवासीय मध्य विद्यालय, गायघाट, पटना ।	50
3	दरभंगा	श्री कामेश्वरी प्रिया पूअर होम, राजकीय मूक-बधिर आवासीय मध्य विद्यालय, दरभंगा ।	50
4	भागलपुर	राजकीय मूक-बधिर आवासीय मध्य विद्यालय, बड़ी खनजरपुर, भागलपुर ।	30
5	मुंगेर	राजकीय मूक-बधिर आवासीय मध्य विद्यालय, मुंगेर ।	25
		Total:-	**205**

(4) **दिव्यांगजनों का सर्वेक्षण एवं प्रमाणीकरणः–** दिव्यांगजनों का सर्वेक्षण एवं दिव्यांगता प्रमाणीकरण पंचायत एवं प्रखण्ड स्तर पर विशेष शिविर आयोजन कर दिव्यांगता प्रमाणीकरण का कार्य किया जाता है।

(5) **यू०डी०आई०डी० परियोजनाः–** प्रत्येक दिव्यांगजन को विशिष्ट पहचान पत्र प्रदान करने एवं दिव्यांगजनों के लिए एक राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार करने के उद्देश्य से यू०डी०आई०डी० परियोजना का कार्यान्वयन बिहार सरकार एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली, भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। केन्द्र प्रायोजित यू०डी०आई०डी० परियोजना की शुरूआत वर्ष 2019 में की गयी, जिसका मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजनों को दिव्यांगता प्रमाण–पत्र/यूनिक आई०डी० प्रदान करना है। इस परियोजना के तहत राज्य में अब तक कुल 6,04,562 दिव्यांगजनों को यू०डी०आई०डी० कार्ड निर्गत किया जा चुका है। इसमें से 18 वर्ष तक के कुल 1,24,780 दिव्यांग बच्चों को यू०डी०आई०डी० कार्ड निर्गत है।

(6) **केन्द्र प्रायोजित छात्रवृति योजनाः–** दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा दिव्यांग छात्र–छात्राओं के लिए प्री–मैट्रिक, पोस्ट–मैट्रिक एवं टॉप–क्लास शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति की सुविधा ऑनलाईन के माध्यम से प्रदान की जा रही है ।

(a) प्री-मैट्रिकः- 9 एवं 10 वर्ग के लिए छात्रवृति दिया जाता है ।

वित्तीय वर्ष	लाभान्वितों की संख्या
2020-21	391
2021-22	202
2022-23	137
2023-24	31
2024-25	33 आवेदन स्वीकृत है ।

***